

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा
आदेश

श्री कृष्ण कुमार, सहायक, मुख्यालय, विकास एवं पंचायत अधिकारी, चण्डीगढ़, हरियाणा का दिनांक 23.11.2021 से 09.12.2021 तक का कुल 17 दिन का अर्जित अवकाश हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2016 के उप-नियम 35 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। श्री कृष्ण कुमार, सहायक के अवकाश अवधि दौरान श्री गौरव, सहायक की अतिरिक्त तौर पर ड्यूटी लगाई जाती है।

चण्डीगढ़ दिनांक
03.12.2021

रमेश चंद्र बिढाण, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत अधिकारी,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ए4-2021/ 1092870-74


दिनांक 07.12.2021

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक-कम-डी0डी0ओ0, मुख्यालय।
2. बिल सहायक, मुख्यालय।
3. आई.टी.सेल, मुख्यालय।
4. श्री कृष्ण कुमार, सहायक, मुख्यालय।
5. श्री गौरव, सहायक, मुख्यालय।

13/12/22

SA/A Anubh
4/12/22
Prag


उप-निदेशक (प्रशा0-1) 07/12/2021
कृते: महानिदेशक महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।